भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 259
18 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि खरीद में निजी एजेंसियों की भूमिका

***259. श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी:**
क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) प्रधानमंत्री 'आशा' पहल के तहत कृषि उत्पादों की खरीद के लिए निजी एजेंसियों को किस तरह से शामिल किया जा रहा है;
(ख) इन एजेंसियों के चयन के लिए उपयोग किए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है;
(ग) निजी एजेंसियों द्वारा खरीद प्रक्रिया में बरती जाने वाली पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और
(घ) सरकार की किसानों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए निजी खरीद को सार्वजनिक सहायता योजनाओं के साथ किस प्रकार संतुलित करने की योजना है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

“कृषि खरीद में निजी एजेंसियों की भूमिका” के संबंध में लोक सभा में दिनांक 18.03.2025 को उत्तरार्थ श्री पी. वी. मिधुन रेड्डीः द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 259 के भाग (क) से (घ) का उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): भारत सरकार ने 14वें वित्त आयोग चरण के दौरान कार्यान्वित किए जाने हेतु वर्ष 2018 में पीएम-आशा योजना को मंजूरी दी। मंत्रालय ने मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), भावांतर भुगतान योजना (पीडीपीएस) और निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना पीपीएसएस के पायलट घटकों के साथ प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की योजना का संचालन किया, ताकि अधिसूचित दलहन, तिलहन और खोपरा के किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान किया जा सके। निजी खरीद स्टॉकिस्ट योजना (पीपीएसएस) की पायलट योजना को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जिले/जिले की चुनिंदा कृषि उपज बाजार समितियों (एपीएमसी) में पूर्व-पंजीकृत किसानों से तिलहन की खरीद के लिए कार्यान्वित किया जाना था, जिसमें चयनित निजी एजेंसियों की भागीदारी शामिल थी। ऐसी खरीद निजी एजेंसियों द्वारा सीधे पूर्व-पंजीकृत किसानों से की जानी थी। तथापि, चूंकि निजी एजेंसियों ने किसी भी राज्य से सरकार की ओर से एमएसपी पर तिलहन की खरीद करने में कोई रुचि नहीं दिखाई, इसलिए सरकार ने 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान 2025-26 तक एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) को जारी रखने की मंजूरी देते हुए 2024-25 से इसे बंद करने का फैसला किया है।

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की एकीकृत योजना में अब मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), भावांतर भुगतान योजना (पीडीपीएस), बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) और मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) शामिल हैं। पीएम-आशा की एकीकृत योजना का उद्देश्य खरीद कार्यों के कार्यान्वयन में और अधिक प्रभावशीलता लाना है, जिससे न केवल किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करने में मदद मिलेगी, बल्कि उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करके मूल्य अस्थिरता को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) पीएम आशा के पीएसएस, पीडीपीएस और एमआईएस घटकों को कार्यान्वित करता है, जबकि उपभोक्ता मामले विभाग पीएसएफ घटक का संचालन करता है। पीएसएस, पीडीपीएस और एमआईएस के कार्यान्वयन के तरीके इस प्रकार हैं:-

i. मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस):

(क) पीएसएस उस राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र के अनुरोध पर कार्यान्वित की जाती है जो अधिसूचित दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद पर मंडी कर लगाने से छूट देने और केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनए) जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) और राज्य स्तरीय एजेंसियों के परामर्श से केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी)/ राज्य भंडारण निगम (एसडब्ल्यूसी) गोदामों की बुकिंग /वैज्ञानिक भंडारण सुविधा, खरीद केंद्रों की पहचान, बोरियों की व्यवस्था, जीपीआरएस सक्षम ढुलाई सुविधाएं, तौल मशीनें, नमी/ बाह्य पदार्थ/तेल सामग्री परीक्षण मशीनें आदि जैसी व्यवस्था करने के लिए सहमत होता है। राज्य इस योजना के दिशानिर्देशों के तहत आवश्यकतानुसार कम से कम पीएसएस संचालन आदि के लिए परिक्रामी निधि बनाएगा। इसे निर्धारित अवधि के भीतर तब कार्यान्वित किया जाता है, जब फसल कटाई के चरम समय के दौरान कृषि वस्तुओं के बाजार मूल्य अधिसूचित एमएसपी से नीचे चले जाते हैं, ताकि किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान किया जा सके। निर्धारित उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) के अनुरूप अधिसूचित दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद

एमएसपी पर राज्य स्तरीय एजेंसियों के माध्यम से सीधे पूर्व-पंजीकृत किसानों से केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनए) द्वारा की जाती है।

(ख) खरीद वर्ष 2024-25 से, पीएसएस के तहत अधिसूचित दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को प्रारंभ में उस विशेष मौसम के लिए राज्य के उत्पादन के अधिकतम 25 तक की मंजूरी दी जाती है। इसके बाद, यदि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्वीकृत मात्रा की समग्र खरीद कर लेता है और आगे स्वीकृत मात्रा से अधिक खरीद करने का इरादा रखता है, तो पीएसएस के तहत खरीद का प्रस्ताव सचिवों की समिति (सीओएस) के विचार के लिए रखा जाता है जो राष्ट्रीय उत्पादन के अधिकतम 25 तक सीमित हैं। इसके अलावा, घरेलू उत्पादन को बढ़ाने में योगदान के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए, सरकार ने खरीद वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के उत्पादन के 100% के बराबर पीएसएस के तहत तुअर, उड़द और मसूर की खरीद की अनुमति दी है और इसे वर्ष 2024-25 के लिए भी आगे बढ़ाया है। यह व्यवस्था किसानों के हित में है।

ii. भावांतर भुगतान योजना (पीडीपीएस):

पीडीपीएस में एमएसपी और अधिसूचित बाजार में बिक्री/मॉडल मूल्य के बीच भावांतर का सीधा भुगतान केंद्र सरकार द्वारा एमएसपी मूल्य के 15% (2% प्रशासनिक लागत सहित) तक किया जाता है, जो पूर्व-पंजीकृत किसानों को निर्धारित अवधि के भीतर पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से अधिसूचित बाजार यार्ड में निर्धारित उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) वाले अपने उत्पादन का 40% तक तिलहन बेचने के लिए दिया जाता है। तथापि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास विशेष तिलहन के लिए पीएसएस या पीडीपीएस को लागू करने का विकल्प है। यदि कोई राज्य 40% से अधिक मात्रा को कवर करने के लिए तैयार है, तो वे अपने संसाधनों से ऐसा कर सकते हैं।

iii. बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस):

बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अनुरोध पर विभिन्न शीघ्र खराब होने वाली कृषि/बागवानी वस्तुओं जैसे टमाटर, प्याज और आलू आदि की खरीद के लिए कार्यान्वित की जाती है, जिन पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) कार्यान्वित नहीं होता है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पिछले सामान्य मौसम की दरों की तुलना में बाजार में कीमतों में कम से कम 10 की कमी होती है ताकि किसानों को अपनी उपज की मजबूरी में बिक्री करने के लिए बाध्य न होना पड़े। इसे तभी कार्यान्वित किया जाता है जब राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कुल हानि को राज्य और केंद्र के बीच 50:50 के अनुपात में साझा करने के लिए तैयार हों, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में केंद्र और राज्य के बीच हानि को 75:25 के आधार पर साझा किया जाएगा। राज्य द्वारा नामित एजेंसी द्वारा निर्धारित एफएक्यू वाली विशेष फसल के राज्य के उत्पादन के 25% तक की खरीद एमआईएस समिति द्वारा निर्धारित निश्चित बाजार हस्तक्षेप मूल्य (एमआईपी) और अनुमत ऊपरी व्यय पर की जाती है, जो आमतौर पर एमआईपी का 25% होता है ताकि किसानों को अपनी उपज की मजबूरी में बिक्री करने के लिए बाध्य न होना पड़े। हालांकि, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के पास किसानों को एमआईपी और बिक्री मूल्य के बीच का भावांतर भुगतान करने का विकल्प भी है। कुल खरीद मूल्य एमआईएस समिति द्वारा निर्धारित बाजार हस्तक्षेप मूल्य (एमआईपी) पर खरीदी गई मात्रा की लागत और अनुमत ओवरहेड व्यय होगा, जो आम तौर पर एमआईपी का 25% होता है। तथापि, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के पास किसानों को एमआईपी और बिक्री मूल्य के बीच का भावांतर भुगतान करने का भी विकल्प है। इसके अलावा, अगर उत्पादक और उपभोक्ता राज्यों के बीच टीओपी फसलों

(टमाटर, प्याज और आलू) की कीमत में अंतर है, तो सरकार नेफेड और एनसीसीएफ जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनए) के माध्यम से उत्पादक राज्य से उपभोक्ता राज्यों तक इन फसलों के परिवहन और भंडारण को मंजूरी देती है, जिसके लिए सरकार द्वारा इन एजेंसियों को खर्च की प्रतिपूर्ति की जाती है।

iv. मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ):

उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, मंत्रालय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय कृषि-बागवानी वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानियों को कम करने के लिए पीएसएफ कार्यान्वित करता है। पीएसएफ योजना का मूल उद्देश्य उपभोक्ताओं को कृषि-बागवानी वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव से बचाना और आवश्यक खाद्य वस्तुओं को किफायती कीमतों पर उपलब्ध कराना है। दलहन के बफर स्टॉक को बनाए रखने के लिए, नेफेड और एनसीसीएफ द्वारा बाजार मूल्य पर अधिसूचित दलहन की खरीद की जाती है।

******